



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE  
CHANGE



क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar

ए वींग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10ए, गांधीनगर-382010 / A wing- 407 & 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010  
Email: iro.gandhingr-mefcc@gov.in

दिनांक: 13<sup>th</sup> नवंबर, 2024

सेवा में,  
शासन सचिव (वन)  
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन  
जयपुर, राजस्थान।


(ऑनलाईन क्रमांक FP/RJ/Others/25462/2017)

विषय: Diversion of 4.69 ha forest land for permission for running of existing gaushala in forest land for saint shri asharam ji, Gaushala Samiti, Village-Lakhawa in Kota District of Rajasthan.

संदर्भ: राज्य शासन, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(35)वन/2024 दिनांक 14.10.2024.  
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रस्ताव के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि यह प्रस्ताव वर्ष 2017 से प्रक्रियाधीन है एवं प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2004 से वर्तमान में भी जारी है। परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये दस्तावेजों में काफी विरोधाभास है एवं अवांछित दस्तावेज अपलोड किये गये हैं। As per the proposal submitted by the State Government, the proposal involves violation. The Regional Office is having no jurisdiction over the proposals involving violation. Therefore, State Govt of Rajasthan is requested to submit this proposal in Parivesh 2.0 and send direct to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi.

2. चूंकि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से संबंधित प्रस्तावों में निर्णय लेना मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिये राज्य सरकार से अनुरोध किया जाता है कि प्रयोक्त अभिकरण को यह निर्देशित किया जाये की वह इस प्रस्ताव को परिवेश 2.0 पोर्टल द्वारा इसे सीधे मंत्रालय को प्रेषित करें।

  
(श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma)  
क्षेत्रीय अधिकारी/Regional Officer (RO)  
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, कोटा वनमण्डल, कोटा, राजस्थान।
3. यूजर एजेंसी।
4. आदेश पत्रावली।